संख्या–36 / 1–78–का–2 / 2003

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 21 जनवरी, 2003

विषय–राज्याधीन सेवा के कर्मचारियों / आधिकारियों की चरित्र पंजी में वार्षिक प्रविष्टि अंकित करते समय उनके कार्य की श्रेणी का उल्लेख।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–2

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 05 मार्च, 1993 द्वारा वार्षिक प्रविष्टि अंकित करते करते समय संबंधित कार्मिक के सम्पूर्ण कार्य एवं आचरण के परिप्रेक्ष्य में "ग्रेडिंग" की व्यवस्था की गयी थी। इस शासनादेश को सम्यक् विचारोपरान्त ग्रेडिंग के परिप्रेक्ष्य में संशोधित किया जाता है। वर्तमान में ग्रेडिंग की व्यवस्था निम्नवत् होगी :–

(1) उत्कृष्ट (Out Standing)
(2) अति उत्तम (Very Good)
(3) उत्तम / अच्छा (Good)
(4) संतोषजनक (Satisfactory)
(5) खराब / असंतोषजनक (Bad/Unsatisfactory)

2–मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया "ग्रेडिंग" की उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य शब्दावली का प्रयोग न किया जाये।

3–"ग्रेडिंग" के अतिक्ति प्रस्तर–1 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 5 मार्च, 1993 की अन्य व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव।

संख्या–36 / 1–78–का–2 / 2003 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
बी0 एस0 दीक्षित,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 30 सा0नियुक्ति–23.3.2010–(2625)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।